गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी

जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन– 263145

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में स्थित वृक्षों के काटे गये टुकड़े/गिल्टो की बिक्री

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या .... : निविदा शुल्क ₹ 1000.00 प्रति निविदा+18%जी0एस0टी0

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 02.03.2023 से 15.03.2023 तक सांय 3.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 16.03.2023 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 16.03.2023 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में स्थित वृक्षों के काटे गये टुकड़े/गिल्टो की बिक्री :–

क्र0 सं0	वृक्षों की प्रजाति	मात्रा (घन मीटर) में	दर (अंको में एवं शब्दों में)
1.	सागौन	3.767	₹ ....
2.	बबूल कोकाट/कोकाट	1.577	
3.	यूकेलिप्टिस	2.544	
4.	शीशम	18.73	
5.	सीरस	3.968	
6.	पॉपलर	0.035	
7.	नीम	1.748	
8.	सेंमल	1.135	
9.	जामुन	0.17	
10.	आम	0.162	
11.	गुटेल	0.163	
	योग–	33.999	

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ 20,000.00 बैंक ड्राफ्ट नं0 ....दिनांक.......................................के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट नं0 ....

दिनांक..

धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

ग्राम ....

पो0 ....

तह0.............................जनपद......................................

पिन.............................दूरभाष......................................

बैक का नाम एवं खाता संख्या ....

आयकर पैन0 नं0.......................आधार कार्ड नं0 ....

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्ते

1. सीलबन्द निविदायें फार्म निदेशालय, हल्दी मे रखी निविदा पेटी में व्यक्तिगत रूप से **दिनांक 16.03.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक** जमा की जा सकती है। प्राप्त निविदायें **दिनांक 16.03.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे** निविदा समिति द्वारा फार्म निदेशालय सभागार हल्दी में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
3. निर्धारित निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय, पो0 हल्दी, जिला– उद्यमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) से रू0 1000.00 (निविदा प्रपत्र रू0 1000.00 + GST @18%) का केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा नगद रसीद भुगतान पर दिनांक. 02.03.2023 से दिनांक 15.03.2023 तक कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

   इच्छुक निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.gbpuat.ac.in** पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र एवं शर्ते डाउन लोड कर प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000.00 (निविदा प्रपत्र रू0 1000.00 + GST @18%) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि **"गो0ब0पन्त कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम"** देय हो अदा करने पर ही निविदा प्रपत्र वैध माना जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये गये पूर्ण निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना पूर्णतया निविदादाता का दायित्व होगा।
4. निविदादाता को रू० 20,000.00 धरोहर धनराशि (वापसी योग्य) के रूप में गो० ब० पन्त विश्वविद्यालय फार्म हल्दी, **खाता संख्या 11543877277, भारतीय स्टेट बैंक, हल्दी IFSC Code SBIN0001251 पर RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. सफल निविदादाता के सुरक्षा धनराशि की वापसी सहायक निदेशक, फार्म द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी।
6. स्वीकृत निविदा दरों की 100 प्रतिशत धनराशि पत्र निर्गत होने के 07 दिनों के भीतर गो० ब० पन्त विश्वविद्यालय फार्म हल्दी, **खाता संख्या 11543877277, भारतीय स्टेट बैंक, हल्दी IFSC Code SBIN0001251 में RTGS/NEFT** के माध्यंम से जमा करना होगा।, अन्यथा काटे गये वृक्षों के गिल्टे की निकासी की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. निविदा दाता को वृक्षों के कटान कर टुकडे करने मे व्यय धनराशि रू0 64700.00 का भुगतान स्वीकृत निविदा दरों के अतिरिक्त अलग से करना होगा।
8. काटे गये वृक्षों के गिल्टे का विक्रय मूल्य पर निर्धारित व्यापार कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क एवं जी0एस0टी0 इत्यादि निविदादाता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद विश्वविद्यालय फार्म कार्यालय में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि निविदादाता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।
9. काट कर टुकड़े किये गये गिल्टे को जैसा है जहॉ है, के आधार पर लेना होगा तथा गिलटों की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय फार्म का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर काटे गये वृक्षो के गिल्टों का भली–भॉति निरीक्षण कर सकता है। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त कॉटे गये वृक्षों के गिल्टे मे किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
10. काटे गये वृक्षो के गिल्टे की निकासी से पूर्व निविदादाता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि निविदादाता को स्वयं जमा करनी होगी।
11. सफल निविदादाता तथा उसके व्यक्तियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

12. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार गो० ब० पन्त विश्वविद्यालय फार्म में निहित है।
13. सफल निविदादाता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में काटे गये वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर राशि/क्रय हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. इस विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति अथवा नामित प्रतिनिधि, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर काटे गये वृक्षों के गिल्टे की निकासी कर लेना आवश्यक है, अन्यथा रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
16. सफल निविदादाता द्वारा माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन के भीतर पूर्ण करनी होगी। अन्य किसी भी तरह का सहयोग गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म से प्राप्त किया जा सकता है।
17. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदादाता को माल की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
18. निविदादाता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मियों का परिचय–पत्र सुरक्षा विभाग, पंतनगर से बनवाना होगा। निविदादाता के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म मे अवांछित गतिविधि में संलिप्त होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर